


188



R 482 - I 17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार -

श्री विष्णु सिंह मरावी उम्र 42 वर्ष पिता फत्तू सिंह मरावी
(गौड आदिवासी) निवासी-म.नं. 67, देहरी कला, गंगई पोस्ट
पड़िया तह. कुण्डम जिला जबलपुर


दस्तावेज़ 3-2-17 को
- का का का का
50 का अनावेदक
मुद्रा
क्रमांक
3-2-17

विस्तृत -

1. श्री अरुण कुमार सोनी उम्र 66 वर्ष पिता श्री राम चरण सोनी
(गैर आदिवासी) निवासी 14, नर्मदा रोड, कटंगा, अंचल विहार,
केरला भवन के पास, कटंगा, गोरखपुर, जबलपुर
2. श्री अनुज कुमार सोनी उम्र 35 वर्ष पिता श्री अरुण कुमार सोनी
(गैर आदिवासी) निवासी 14, नर्मदा रोड, कटंगा, अंचल विहार,
केरला भवन के पास, कटंगा, गोरखपुर, जबलपुर
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 71/अ-21/2016-17 में पारित अंतरिम
आदेश दि. 23/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959 की धारा 50 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री विष्णु सिंह मरावी उम्र 42 वर्ष पिता फत्तू सिंह
मरावी (गौड आदिवासी) निवासी-म.नं. 67, देहरी कला, गंगई पोस्ट पड़िया तह. कुण्डम जिला
जबलपुर द्वारा ग्राम पड़िया प.ह.नं. 17 रा.नि.म. इमलई तहसील व जिला जबलपुर स्थित
भूमि खसरा नं. क्रमशः 391, 392, 393, 394 रकवा क्रमशः 1.04, 0.72, 0.600, 1.44
हेक्टेयर कुल रकवा 3.80 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री अरुण कुमार सोनी उम्र
66 वर्ष पिता श्री राम चरण सोनी (गैर आदिवासी) निवासी 14, नर्मदा रोड, कटंगा, अंचल
विहार, केरला भवन के पास, कटंगा, गोरखपुर, जबलपुर 2. श्री अनुज कुमार सोनी उम्र 35



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, व्यालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 482-एक/17

जिला - जबलपुर

दस्तावेज तथा दिनांक	नवर्याही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विलक्षण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 शासन के विवाद अधिवक्ता के तर्के पर विचार किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की घाम पड़ारिया प.ह.नं. 17 रा.नि.गं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमियां खसरा नं. 391, 392, 393 एवं 394 टकबा क्रमांक: 1.040, 0.720, 0.600 एवं 1.440 हेक्टर को अबावेदक क्रमांक 1 एवं 2/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 19-12-16 को पंजीबद्ध कर दिनांक 20-2-17 को आह्यता पर तक हेतु नियत किया गया। इसके उपर्यंत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 23-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है। कलेक्टर के हस आदेश से व्यवित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई बिर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है। आवेदित भूमि</p>	

*(M)**R/14*

6778 482-A/17

स्थान तथा दिनांक	वार्यवाही तथा आदेश	प्रकाशन अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है। आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को कर्य करने को तैयार नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रणालीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम देहरीकला प.ह.नं. 12 देहरीखुर्द रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में 2.40 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाहड़ लाझन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रणालीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पड़िया प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमियां खसरा नं. 391, 392, 393 एवं 394 रकबा कमाता: 1.040, 0.720, 0.600 एवं 1.440 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-</p> <p>1- प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाहड़ लाझन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p>	

6/4

X. VIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, ग्रामपंचायती, रवालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 482-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाझड लाईन की मान से किया जायेगा</p> <p>निगरानी तदनुसार नियाकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p><i>R 1/4</i></p>	<p><i>[Signature]</i> (एम0के0 सिंह)</p> <p>सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्रामपंचायती रवालियर</p>